रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072024-255174 CG-DL-E-04072024-255174

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] No. 344]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 367(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, नागालैंड सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:—

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2024 कहा जा सकेगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

4015 GI/2024 (1)

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में, अनुसूची में, **"नागालैंड** शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः-

"नागालैंड

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद			
	सरकार के मुख्य सचिव	1		
	अपर मुख्य सचिव			
	प्रधान सचिव	2		
	प्रधान साचव	6		
	आयुक्त, नागालैंड	1		
	निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1		
	आयुक्त, कर	1		
	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	1		
	आयुक्त एवं सचिव	5		
	गृह आयुक्त	1		
	वित्त आयुक्त	1		
	विकास आयुक्त	1		
	कृषि उत्पादन आयुक्त	1		
	आयुक्त और सचिव, पी एंड एआर	1		
	सरकार के सचिव	9		
	आबकारी आयुक्त	1		
	निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	1		
	प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा	1		
	उप आयुक्त	12		
	अपर उप आयुक्त	5		
1	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	52		
2	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	20		
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	13		
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	01		
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	08		
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद			
•	उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं			
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)			
	कुल अधिकृत संख्या	66 94"		

[फा. सं. 11031/04/2021-एआईएस-II (ए)]

भुपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पहले, नागालैंड आईएएस संवर्ग की कुल अधिकृत संख्या 94 थी।

टिप्पणी 2: प्रमुख विनियम एसआरओ संख्या 3350, दिनांक 22.10.1955 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग के संबंध में उनमें निम्नलिखित सा. का. नि. संख्याओं और तारीखों के माध्यम से संशोधन किया गया था: -

क्र.सं.	सा. का. नि.	दिनांक	क्र.सं.	सा. का. नि.	दिनांक
1.	329 (अ)	11.05.1976	8.	276	05.07.1997
2.	524 (अ)	08.09.1980	9.	739 (अ)	31.12.1997
3.	957	04.12.1982	10.	222	09.07.2005
4.	399	21.04.1984	11.	77 (अ)	08.02.2008
5.	296	16.04.1988	12.	188 (अ)	24.03.2009
6.	108	07.03.1992	13.	898 (왜)	09.11.2010
7.	319 (अ)	31.03.1995	14.	1021 (अ)	30.12.2015

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training))

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2024

- G.S. R. 367(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Nagaland**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—
 - 1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "Nagaland" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"NAGALAND

Senior Duty Posts under the State Government	52
Chief Secretary to the Government	1
Additional Chief Secretary	2
Principal Secretary	6
Commissioner, Nagaland	1
Director Administrative Training Institute	1
Commissioner, Taxes	1
Resident Commissioner, New Delhi	1
Commissioner & Secretary	5
Home Commissioner	1

	Finance Commissioner	1
	Development Commissioner	1
	Agriculture Production Commissioner	1
	Commissioner & Secretary, P & AR	1
	Secretary to Government	9
	Commissioner of Excise	1
	Director, Food & Civil Supplies	1
	Principal Director, School Education	1
	Deputy Commissioner	12
	Additional Deputy Commissioner	5
1	Total Senior Duty Posts	52
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	20
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	13
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	01
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	08
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service	28
	(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	66
	Total Authorised Strength	94"

[F. No. 11031/04/2021-AIS-II(A)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

- **Note 1:** Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Nagaland IAS Cadre was 94.
- **Note 2:** The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Nagaland Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S. No.	G.S.R. No.	Date	S. No.	G.S.R. No.	Date
1.	329 (E)	11.05.1976	8.	276	05.07.1997
2.	524 (E)	08.09.1980	9.	739 (E)	31.12.1997
3.	957	04.12.1982	10.	222	09.07.2005
4.	399	21.04.1984	11.	77(E)	08.02.2008
5.	296	16.04.1988	12.	188 (E)	24.03.2009
6.	108	07.03.1992	13.	898 (E)	09.11.2010
7.	319 (E)	31.03.1995	14.	1021(E)	30.12.2015